[2021] 6 एस. सी. आर. 573

गुरु दत्त पाठक

वी.

उत्तर प्रदेश राज्य

(2015 की आपराधिक अपील संख्या 502)

06 मई, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

एम. आर. शाह, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860: एसएस। 302/34 - चार आरोपी-बरी

विचारण न्यायालय-उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य की अपील के लंबित रहने के दौरान, अभियुक्त नं. 1 3 की मृत्यु-उच्च न्यायालय द्वारा चौथे आरोपी को बरी करने के फैसले को उलटना-दोषसिद्धि के खिलाफ अपील-आयोजितः अभियोजन पक्ष के गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया-यह प्रमुख साक्ष्य द्वारा स्थापित और साबित किया गया कि घटना प्राथमिक पाठशाला के पास सड़क पर हुई थी। पाठशाला के पास सड़क से शव बरामद किया गया था और उस स्थान से खून से सने कपड़े भी बरामद किए गए थे।

अभियोजन पक्ष ने घटना स्थल को साबित कर दिया जैसा कि प्राथमिकी में कहा गया है-पीडब्लू

4 चश्मदीद गवाह था-वह भरोसेमंद और भरोसेमंद पाया गया-चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कुछ गवाहों/स्वतंत्र गवाहों की केवल गैर-परीक्षा और/या किसी भी स्वतंत्र गवाह की परीक्षा के अभाव में अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होगा-अपीलार्थी-आरोपी नं। 4 एफ. आई. आर. में शुरू से ही नाम दिया गया था-उन्हें विशिष्ट भूमिका के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था -

पी. डब्ल्यू.-4 के साक्ष्य से यह स्थापित और साबित हुआ-मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, और साक्ष्य की पुनः समीक्षा करने पर, उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियुक्तों को बरी करते समय निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विकृत और समान थे।

अभिलेख पर साक्ष्य और/या साक्ष्य के गलत पढ़ने के विपरीत-उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1. प्रत्येक आधार जिस पर निचली अदालत ने आरोपी को बरी किया था, उच्च न्यायालय द्वारा विस्तृत रूप से निपटा गया है और रिकॉर्ड पर पूरे साक्ष्य की पुनः समीक्षा पर उच्च न्यायालय विशेष रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विकृत थे और उसके बाद -

उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा पारित फैसले और बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप किया। उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा कि जब चश्मदीद गवाहों के रूप में प्रत्यक्ष साक्ष्य होता है और चश्मदीद गवाह भरोसेमंद और विश्वसनीय होते हैं, तो उद्देश्य का अभाव महत्वहीन होता है। वर्तमान मामले में, 313 बयान में ही, अपीलार्थी-मूल अभियुक्त नं. 4 यह भी कहा कि एक दुश्मनी थी। इसलिए, अभियुक्त के अनुसार भी, एक दुश्मनी थी। [पैरा 8 और 9] [592-डी-एफ]

मंजीत सिंह बनाम। पंजाब राज्य (2019) 8 एससीसी 529: [2019] 11 एस. सी. आर. 554; सुरिंदर कुमार बनाम। पंजाब राज्य (2020) 2 एस. सी. सी. 563 [2020] 1 एस. सी. आर. 307; रिज़वान खान बनाम। छत्तीसगढ़ राज्य (2020) 9 एससीसी 627; एच. पी. बनाम राज्य प्रदीप कुमार (2018) 13 एससीसी 808: [2018] 2 एस. सी. आर. 656-निर्भर।

2.1 अभियोजन पक्ष के गवाहों ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन किया, विशेष रूप से पीडब्लू 2 और पीडब्लू 4 और वे विश्वसनीय और विश्वसनीय पाए गए हैं। स्वतंत्र गवाह अभियोजन पक्ष के मामले में घातक नहीं होते हैं। अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन दो व्यक्तियों का, जैसा कि एफ. आई. आर. में उल्लेख किया गया है, घटना स्थल पर गवाह के रूप में उल्लेख किया गया था।

आरोप पत्र। किसी भी मामले में, पीडब्लू2 और पीडब्लू4 ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन किया और इसलिए उपरोक्त की गैर-जांच की।

अभियोजन पक्ष के मामले में दो व्यक्ति घातक नहीं होंगे। [पैरा 11] [593-डी-एफ]

दशरथ सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2004) 7 एस. सी. सी. 408: [2004] 3 पूरक। एस. सी. आर. 561; तखाजी हीराजी बनाम। ठाकुर कुबरसिंग चमनसिंह (2001) 6 एस. सी. सी. 145-संदर्भित

को।

2.2 जाँच अधिकारी-पीडब्लू 7-ने अपनी जाँच में विशेष रूप से कहा कि जब उन्होंने उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कोशिश की

4 पर अभियुक्तः 00 सुबह पुल के पास उक्त आरोपी ने भागने की कोशिश की; हाथापाई के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उस हाथापाई और गिरफ्तारी के दौरान उसे चोटें आईं। ए.

जिरह में उन्हें यह सुझाव दिया गया था कि गिरफ्तारी के समय आरोपी 'एम' को कोई चोट नहीं लगी थी, हालांकि, इस बात से विशेष रूप से इनकार किया गया है कि यह सच नहीं है कि वह गुरु दत्त पाठक बनाम।

गिरफ्तारी के समय उन्हें कोई चोट नहीं लगी थी। इसी तरह के सुझाव अन्य गवाहों को भी दिए गए और उन्हें अस्वीकार कर दिया गया।

इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष उक्त अभियुक्त पर चोट की व्याख्या करने में विफल रहा। यहां तक कि उपरोक्त पहलू पर भी उच्च न्यायालय द्वारा विस्तार से विचार किया गया था और उक्त बयान की उच्च न्यायालय द्वारा अभिलेख पर पूरे साक्ष्य, विशेष रूप से चिकित्सा साक्ष्य और यहां तक कि अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष द्वारा जांचे गए डॉक्टरों के बयान की पुनः सराहना करने पर सराहना की गई थी। [पैरा 12] [593-जी-एच; 594-ए-बी]

3.1 अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार घटना की घटना का स्थान स्थापित किया गया है और अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया गया है। अभियुक्त इस बात का कोई सबूत देने में विफल रहे हैं कि घटना अभियुक्तों में से एक के घर के दरवाजे के पास हुई थी। यदि पंचनामे का संबंध है, तो अभियुक्त द्वारा सुझाए गए घटना स्थल भी बचाव पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करता है। उपरोक्त पहलू पर उच्च न्यायालय द्वारा विवादित फैसले में विस्तार से विचार किया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य का नेतृत्व करके यह स्थापित और साबित किया गया कि घटना प्राथमिक पाठशाला के पास सड़क पर हुई थी। प्राथमिक पाठशाला के पास सड़क से शव बरामद किया गया और उस स्थान से खून से सना गमछा और तहमाद भी बरामद किया गया। मृत शरीर की बरामदगी और दागदार रक्त की बरामदगी आदि को चुनौती नहीं दी जाती है। इसलिए, अभियोजन पक्ष ने घटना के स्थान को साबित कर दिया है जैसा कि प्राथमिकी में कहा गया है। [पैरा 13] [596-ए-डी]

3.2 अब जहाँ तक एक दूसरे आधार की बात है, निचली अदालत ने आरोपी को बरी करते हुए कहा कि कोई आग्नेयास्त्र चोट नहीं थी

मृतक के व्यक्ति पर और इसलिए चिकित्सीय साक्ष्य नेत्र संबंधी गवाही के साथ असंगत है, यह है यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अभियोजन पक्ष का यह मामला कभी नहीं था कि मृतक के व्यक्ति पर आग्नेयास्त्र से चोट लगी हो। यहां तक कि गवाहों के साक्ष्य के अनुसार, जब लाठी और भाले की चोटों को बनाए रखने के बाद मृतक जमीन पर गिर गया, जब अन्य लोग आने लगे और उस जगह से जाते समय, एक आरोपी रामराज पाठक ने मृतक की ओर अपनी पिस्तौल चलाई। गवाहों के मामले में ऐसा कभी नहीं हुआ कि गोली मृतक को लगी हो। इसके विपरीत, पीडब्लू2 ने विशेष रूप से [2021] 6 एस. सी. आर. कहा है।

कि मृतक को कोई आग्नेयास्त्र चोट नहीं लगी है, हालांकि रामराज पाठक ने उस पर गोली चला दी है। पीडब्लू2 और पीडब्लू4 के बयान जिन्हें स्टार गवाह कहा जा सकता है और वे घटना के चश्मदीद गवाह हैं। पीडब्लू-4 विश्वसनीय और विश्वसनीय पाया जाता है। उनका बयान एफ़. आई. आर. में लगाए गए आरोपों के अनुरूप है। उनकी विश्वसनीयता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए, अपीलार्थी को भी पीडब्लू4 के बयान के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है और उसे सही तरीके से दोषी ठहराया जा सकता है, जो घटना का चश्मदीद गवाह है। अपीलार्थी-मूल अभियुक्त सं। 4 एफ. आई. आर. में शुरू से ही विशेष रूप से इसका नाम लिया गया था। उन्हें विशिष्ट भूमिका का श्रेय दिया गया है। पी. डब्ल्यू. 4 के साक्ष्य से भी यही स्थापित और साबित हुआ है। निचली अदालत द्वारा पारित फैसले और बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने में उच्च न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। [पारस 14,15,17] [596-ई-एच; 597-सी, एच; 598-ए]

उमेदभाई जादवभाई बनाम। गुजरात राज्य (1978) 1 एससीसी

पुलिस आयुक्त (1999) 2 एससीसी 10: [1998] 3 पूरक। एस. सी. आर. 594; विजय मोहन सिंह बनाम की स्थिति

कर्नाटक (2019) 5 एससीसी 436: [2019] 6 एससीआर 994; एटली

वी. उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 807; K.Gopal रेड्डी बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य (1979) 1 एससीसी 355:

[1979] 2 एस. सी. आर. 363-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1978] 2 एससीआर 471

पै

रा 6.1

संदर्भित किया गया है

[2010] 9 एससीआर 1039

संदर्भित किया गया है

पै

रा 7.2

[1998] 3 पूरक। एससीआर 594

पै

रा 7.2

संदर्भित किया गया है

[2019] 6 एससीआर 994

संदर्भित किया गया है

पै

रा 7.3

संदर्भित किया गया है

पै

रा 7.5

आकाशवाणी 1955 एससी 807

[1979] 2 एससीआर 363

संदर्भित किया गया है

पै

रा 7.6

[2019] 11 एससीआर 554

पै

रा 10.1

उस पर भरोसा करें

[2020] 1 एससीआर 307

उस पर भरोसा करें

पै

रा 10.2

(2020) 9 एस. सी. सी. 627

उस पर भरोसा करें

पैरा 10.3 गुरु दत्त पाठक बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य

[2018] 2 एससीआर 656

उस पर भरोसा करें

पै

रा 10.3

[2004] 3 पूरक। एससीआर 561

संदर्भित किया गया है

पै

रा 12

(2001) 6 एससीसी 145

संदर्भित किया गया है

पै

रा 12.1

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2015 का सं. 502।

उच्च न्यायालय के 16.01.2014 दिनांकित निर्णय और आदेश से

1982 की अपील No.2895 में इलाहाबाद में न्यायिक कार्य।

सिद्धार्थ डेव, वरिष्ठ अधिवक्ता। , आशुतोष कुमार शर्मा, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

अर्धेन्दुमाउली कुमार प्रसाद, विकास बंसल, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. विवादित फैसले से दुखी और असंतुष्ट महसूस करना

और 1982 की सरकारी अपील संख्या 2895 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 का आदेश, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने राज्य द्वारा की गई उक्त अपील को स्वीकार कर लिया है और आई. पी. सी. की धारा 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अभियुक्त को बरी करने वाले विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और बरी करने के आदेश को उलट दिया है और परिणामस्वरूप अपीलार्थी-मूल अभियुक्त

संख्या 2895 को दोषी ठहराया है। 4 उपरोक्त अपराधों के लिए, मूल अभियुक्त सं। 4 वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार मृतक था

दो दशकों से अधिक समय तक गाँव के प्रधान। ये थे आरोपी

उसके खिलाफ गुस्सा होना। 6.10.1981 पर लगभग 7 बजेः 00 ए. एम., मृतक हमेशा की तरह, नदी के किनारे प्रकृति के आह्वान में भाग लेने जा रहा था यमुना उनके गाँव के पास स्थित है। जब मृतक बेसिक स्कूल, नगरवार के पास पहुंचा, तो चारों आरोपी अचानक राम साजीवान के बजरा मैदान से बाहर निकल आए। आरोपी मुरलीधर पाठक और गुरुदत्त पाठक लाठियों से लैस थे, धर्मराज पाठक भाले से लैस थे और रामराज पाठक पिस्तौल से लैस थे। मृतक पर अभियुक्तों ने भाला और लाठियों से हमला किया। मृतक जमीन पर गिर गया। उन्होंने लाठियों से उसका सिर कुचला। शोर-शराबे में, पहले मुखबिर शत्रुघ्न पाठक, उनके भाई रामसुख पाठक, लालमणि पाठक और शिव शंकर, जो पहले से ही थोड़ी दूरी पर थे, [2021] 6 एस. सी. आर. की ओर दौड़े।

जिसके बाद आरोपी रामराज पाठक ने अपनी पिस्तौल से मृतक की ओर गोली चलाई और सभी हमलावर अपने हथियारों के साथ भाग गए। मृतक को उनकी तत्काल मृत्यु प्राप्त हुई

स्थान।

2.1 मृतक के बेटे शत्रुघ्न पाठक ने सभी अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ धारा 302 आर/आर के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की।

डब्ल्यू 34 आई. पी. सी. एफ. आई. आर. की जाँच जाँच अधिकारी सुखराम सोनकर ने की थी। उन्होंने गवाहों के बयान दर्ज किए। उन्होंने मौके पर पंचनामा तैयार किया। उन्होंने आरोपी मुरलीधर पाठक को लगभग 4 बजे 07.10.1981 पर गिरफ्तार कियाः 00 एक छोटे से पीछा करने के बाद और उनकी गिरफ्तारी के दौरान पुलिस कर्मियों ने फगावा नदी के पुल के पास उनके व्यक्ति को घायल कर दिया।

2.2 डॉ. निसार अहमद ने पोस्टमार्टम किया। उन्होंने मृतक के शरीर पर निम्नलिखित पूर्व-शव परीक्षण चोटों को देखाः

बाएं पार्श्विका के फ्रैक्चर के साथ खोपड़ी का अवसादग्रस्त फ्रैक्चर

(i)

हड्डी। वास्तव में सभी हड्डियाँ टूट गई थीं। मस्तिष्क पदार्थ को द्रवीकृत कर दिया गया था।

(ख)

बाएँ पिन्ना पर कई घर्षण।

कान से 5 इंच ऊपर खोपड़ी पर घाव टी. यू. निर्देशित,

iii)

2 इंच x 2 इंच। मस्तिष्क पदार्थ बाहर जा रहा है।

(iv)

ओसीपीटल के ऊपर घाव, 2 इंच x 2 इंच। मस्तिष्क

बाहर जाने की बात।

बाएँ ओसीपीट पर घाव, 2 इंच x 1 इंच।

v)

vi)

हथेली के पार्श्व पक्ष पर कटा हुआ घाव, 1 इंच x 1 इंच x

मांसपेशियों की गहराई।

खोपड़ी के पीछे के हिस्से पर घाव, 1 इंच x

vii)

1 इंच x मांसपेशियों की गहराई।

ओसीपीटल के समीपस्थ भाग पर घाव।

viii ix)

बाईं पार्श्विका हड्डी पर कटा हुआ घाव, 1 इंच x 1 इंच x

मस्तिष्क गुहा मस्तिष्क पदार्थ के बाहर जाने के साथ गहरी होती है।

पार्श्विका हड्डी पर कटा हुआ घाव, 1 इंच x 1 इंच। मस्तिष्क

x)

बात बाहर जा रही थी।

सामने की हड्डी पर घाव, 1 इंच x 1 इंच। मस्तिष्क

xi)

बाहर जाने की बात।

गुरु दत्त पाठक बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, मौत का कारण कारण था

उपरोक्त चोटों के परिणामस्वरूप आघात और रक्तस्राव।

2.3 जाँच पूरा होने पर जाँच अधिकारी ने मुरलीधर पाठक के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया और तीन फरार हो गए। अभियुक्त। कि शेष व्यक्तियों के गिरफ्तार होने के बाद, क्योंकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, विद्वान प्रमुख

न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले को सत्र न्यायालय को सौंप दिया। सभी अभियुक्तों पर मृतक-राम आसरे पाठक की हत्या के लिए आई. पी. सी. की धारा 303/34 के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया था। सभी अभियुक्तों ने आरोपों से इनकार किया और इसलिए उन पर उपरोक्त अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया।

2.4 मामला साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने आठ गवाहों से पूछताछ की। पीडब्लू2 और पीडब्लू4 प्रत्यक्षदर्शी थे और पीडब्लू7 प्रत्यक्षदर्शी था।

जाँच अधिकारी। मुकदमे के अंत में, विद्वत विचारण न्यायालय ने सभी अभियुक्त व्यक्तियों को मुख्य रूप से इस आधार पर बरी कर दिया कि पीडब्लू1 से पीडब्लू4-चश्मदीद गवाह संबंधित और इच्छुक गवाह थे; किसी भी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की गई है; पीडब्लू2 और पीडब्लू4, मृतक के बेटों को संयोग गवाह कहा जा सकता है; अभियोजन पक्ष द्वारा घटना का स्थान साबित नहीं किया गया है और मृतक के लिए कथित स्थान पर पहुंचने का कोई अवसर नहीं था; मृतक के व्यक्ति पर आग की चोटों की अनुपस्थिति; और अभियोजन पक्ष ने आरोपी मुरलीधर पाठक पर चोटों की व्याख्या नहीं की है।

3. विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, राज्य ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील करना पसंद किया। अपील के लंबित रहने के दौरान, अभियुक्त सं। 1 3 की मृत्यु/अवधि समाप्त हो गई और इसलिए यहाँ अपीलार्थी के खिलाफ अपील-मूल अभियुक्त सं। 4 इसे आगे बढ़ाया गया। यह कि अभिलेख पर संपूर्ण साक्ष्य की पुनः प्राप्ति पर, विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया है और विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के आदेश को दरकिनार कर दिया है और परिणामस्वरूप अपीलार्थी को दोषी ठहराया है-मूल अभियुक्त सं। 4 आई. पी. सी. की धारा 302/34 के तहत अपराधों के लिए और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 4. उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने और अपीलार्थी को दोषी ठहराए जाने के आदेश को पलटते हुए पारित किए गए विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना-मूल अभियुक्त नं. 4 आई. पी. सी. की धारा 302/34 के तहत अपराधों के लिए, मूल आरोपी नं. 4 वर्तमान को प्राथमिकता दी है

अपील करें।

21] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

कि उच्च न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है

(i)

विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित सुविचारित निर्णय और बरी करने के आदेश को उलटना और परिणामस्वरूप

अभियुक्त को दोषी ठहराना;

(ख)

कि विद्वत विचारण न्यायालय ने, इस प्रकार, कोई त्रुटि नहीं की

अभियुक्त को बरी करना;

कि उद्देश्य स्थापित और सिद्ध नहीं किया गया है;

iii)

(iv)

कि सभी अभियोजन पक्ष के गवाह-तथाकथित प्रत्यक्षदर्शी

- पीडब्लू1 से पीडब्लू4 सभी संबंधित और इच्छुक गवाह हैं। कि किसी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की गई है;

v)

vi)

कि जैसा कि विद्वत विचारण न्यायालय, पीडब्लू 2 और पीडब्लू4 मौका गवाह हैं;

कि चिकित्सा साक्ष्य से कोई चोट नहीं मिली है

vii)

दागे गए हाथ और इसलिए यह मामले को गलत साबित करता है

अभियोजन;

viii) कि अभियोजन पक्ष एक पर चोट की व्याख्या करने में विफल रहा है।

अभियुक्त-मुरलीधर पाठक;

कि चिकित्सा साक्ष्य मामले का समर्थन नहीं करता है

ix)

अभियोजन '

कि एफ़. आई. आर. पूर्व-दिनांकित थी और

x)

xi)

कि अभियोजन पक्ष सटीक स्थान साबित करने में विफल रहा है घटना की घटना।

5.1 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि इस न्यायालय के निर्णयों के अनुसार जब दो विचार संभव हैं और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी करने का आदेश रिकॉर्ड पर साक्ष्य की सराहना पर आधारित है, तो उच्च न्यायालय बरी करने के ऐसे आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने एक अपील में बरी करने के आदेश को उलट दिया है धारा 378 Cr.P.C के तहत और धारा 378 Cr.P.C के दायरे से परे शक्तियों/अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है।

5.2 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील को अनुमति दी जाए और गुरु दत्त पाठक बनाम द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाए।

उत्तर प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

उच्च न्यायालय और विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित सुविचारित निर्णय और बरी करने के आदेश को बहाल करें।

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने राज्य के निर्णय और आदेश को उलटने में कोई त्रुटि नहीं की है। दोषमुक्त करना और परिणामस्वरूप अभियुक्त को दोषी ठहराना।

6.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और बरी करने के आदेश के खिलाफ पहला अपीलीय न्यायालय होने के नाते,

उच्च न्यायालय अभिलेख पर पूरे साक्ष्य की फिर से सराहना करने और अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उचित है। उमेदभाई जादवभाई बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा गया है। गुजरात राज्य (1978)

1 एससीसी 228।

6.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि विवादित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने उन आधारों पर विस्तार से विचार किया है जिनके आधार पर विद्वान

निचली अदालत ने अभियुक्तों को बरी कर दिया और यह पाया कि जिन आधारों पर अभियुक्तों को बरी किया गया है, वे कानूनी रूप से मान्य नहीं हैं और रिकॉर्ड पर साक्ष्य के बिल्कुल विपरीत हैं और विकृत हैं, उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों को सही ही दोषी ठहराया है।

6.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष

उसने घटना/घटना के वास्तविक स्थान को स्थापित और साबित किया है और अभियुक्तों में से एक-मुरलीधर पाठक को चोटों के बारे में बताया है।

6.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि 313 कथन में भी, अपीलार्थी -

मूल अभियुक्त नं. 4 दुश्मनी के बारे में भी बताया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए अपीलार्थी के अनुसार भी-मूल अभियुक्त सं। 4 , मृतक और आरोपी के बीच दुश्मनी थी।

अभियोजन। 6.6 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि एक और कारण विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया है जिसे उच्च [2021] 6 एस. सी. आर. द्वारा विस्तृत रूप से निपटाया गया है।

अदालत ने कहा कि न तो कोई आग्नेयास्त्र चोट लगी थी और न ही आग्नेयास्त्र बरामद किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चश्मदीद गवाहों के बयान में यह रिकॉर्ड में आया है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार आग की गोली थी लेकिन यह हवा में थी और बंदूक से कोई चोट नहीं लगी थी।

6.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में चश्मदीद गवाह पीडब्लू2 और पीडब्लू4 ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया है और इसलिए

उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को सही ही दोषी ठहराया है।

7. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुना है

लंबाई में। हमने विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के निर्णय और आदेश के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने और अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए पारित विवादित निर्णय और आदेश पर विस्तार से विचार किया है और विचार किया है, ताकि हम खुद को संतुष्ट कर सकें कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और बरी किए जाने के आदेश को उलटने और परिणामस्वरूप अभियुक्त को दोषी ठहराने में उचित है।

7.1 हम इस तथ्य से अवगत हैं कि यह उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के फैसले को पलटने का मामला है। इसलिए, पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करना उचित है?

7.2 बाबू बनाम के मामले में। केरल राज्य (2010) 9 एस. सी. सी. 189, इस न्यायालय ने धारा 378 Cr.P.C के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील में पालन किए जाने वाले सिद्धांतों को दोहराया है।

" 12. इस न्यायालय ने बार-बार उच्च न्यायालय के लिए निचली अदालत द्वारा पारित फैसले और बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। अपीलीय न्यायालय को आम तौर पर ऐसे मामले में बरी किए जाने के फैसले को दरकिनार नहीं करना चाहिए जहां दो विचार संभव हों, हालांकि अपीलीय न्यायालय का विचार अधिक संभावित हो सकता है। बरी किए जाने के फैसले पर विचार करते समय, अपीलीय अदालत को अभिलेख पर पूरे साक्ष्य पर विचार करना होता है, ताकि इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि क्या निचली अदालत के विचार विकृत थे या अन्यथा अस्थिर थे। अपीलीय न्यायालय को इस बात पर विचार करने का अधिकार है कि क्या तथ्य के निष्कर्ष पर पहुंचने में, निचली अदालत स्वीकार्य साक्ष्य को ध्यान में रखने में विफल रही थी और/या कानून के विपरीत रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य को ध्यान में रखा था। इसी तरह, सबूत का बोझ गलत तरीके से रखना भी एक विषय हो सकता है-अपीलीय न्यायालय द्वारा जांच का विषय।

(वीडियो गुरु दत्त पाठक बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

बालक राम बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1975) 3 एस. सी. सी. 219, शंभू मिसिर बनाम। बिहार राज्य (1990) 4 एस. सी. सी. 17, शैलेंद्र प्रताप बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2003) 1 एस. सी. सी. 761, नरेंद्र सिंह बनाम। एम. पी. की स्थिति (2004) 10 एस. सी. सी. 699, बुध सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2006) 9 एस. सी. सी. 731, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। राम वीर सिंह (2007) 13 एस. सी. सी. 102, एस. राम कृष्ण बनाम। एस. रामी रेड्डी (2008) 5 एससीसी 535, अरुलवेलु बनाम। राज्य (2009) 10 एस. सी. सी. 206, पेरला सोमशेखर रेड्डी बनाम। एपी राज्य (2009) 16 एससीसी 98 और राम सिंह बनाम। एच. पी. राज्य (2010) 2 एस. सी. सी. 445)

" ..... उच्च न्यायालय को हमेशा ऐसे मामलों को उचित महत्व देना चाहिए और उन पर विचार करना चाहिए जैसे (1) गवाहों की विश्वसनीयता के बारे में विचारण न्यायाधीश के विचार; (2) अभियुक्त के पक्ष में निर्दोष होने का अनुमान, निश्चित रूप से ऐसा अनुमान नहीं है यह इस तथ्य से कमजोर हो जाता है कि उसे अपने मुकदमे में बरी कर दिया गया है; (3) किसी भी संदेह के लाभ के लिए अभियुक्त का अधिकार; और (4) एक न्यायाधीश द्वारा दिए गए तथ्य के निष्कर्ष को बाधित करने में एक अपीलीय अदालत की धीमी गति, जिसे गवाहों को देखने का लाभ मिला था।

14. इस न्यायालय द्वारा कानून के उपरोक्त सिद्धांत का लगातार पालन किया गया है। (तुलसीराम कानू वी. देखें। राज्य ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 1, बलबीर सिंह बनाम। पंजाब राज्य ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 216, एम. जी. अग्रवाल बनाम। महाराष्ट्र राज्य ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 200, खेडू मोहटन बनाम। बिहार राज्य (1970) 2 एस. सी. सी. 450, संबाशिवन बनाम। केरल राज्य (1998) 5 एससीसी 412, भगवान सिंह बनाम। एम. पी. राज्य (2002) 4 एस. सी. सी. 85 और गोवा राज्य बनाम। संजय ठकरन (2007) 3 एस. सी. सी. 755)

15. चंद्रप्पा बनाम। कर्नाटक राज्य (2007) 4 एस. सी. सी. 415, इस न्यायालय ने कानूनी स्थिति को निम्नानुसार दोहरायाः (एस. सी. सी पी. 432 , पैरा

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ऐसी शक्ति और अपीलीय के प्रयोग पर कोई सीमा, प्रतिबंध या शर्त नहीं लगाती है। न्यायालय अपने समक्ष साक्ष्य पर तथ्य और कानून दोनों के प्रश्नों पर अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुँच सकता है।

(3) विभिन्न अभिव्यक्तियाँ, जैसे, 'पर्याप्त और सम्मोहक कारण', 'अच्छे और पर्याप्त आधार', 'बहुत मजबूत 'परिस्थितियाँ', 'विकृत निष्कर्ष', 'स्पष्ट गलतियाँ' आदि का उद्देश्य अपीलीय न्यायालय की व्यापक शक्तियों को कम करना नहीं है।

दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में। इस तरह के वाक्यांश 'भाषा के विकास' की प्रकृति में अधिक हैं जो साक्ष्य की समीक्षा करने और अपने दम पर आने की अदालत की शक्ति को कम करने की तुलना में बरी करने में हस्तक्षेप करने के लिए एक अपीलीय अदालत की अनिच्छा पर जोर देते हैं।

निष्कर्ष। (4) तथापि, एक अपीलीय न्यायालय को यह ध्यान में रखना चाहिए कि

व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि वह किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषी साबित न हो जाए। दूसरा, अभियुक्त ने सुरक्षित किया है उसके बरी होने पर, उसकी बेगुनाही की धारणा को निचली अदालत द्वारा और मजबूत, फिर से पुष्टि और मजबूत किया जाता है।

(5) यदि अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय न्यायालय को निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए बरी होने के निष्कर्ष को बाधित नहीं करना चाहिए।

16. घुरे लाल बनाम। यू. पी. (2008) राज्य 10 एस. सी. सी. 450, इस न्यायालय ने उक्त दृष्टिकोण को दोहराते हुए कहा कि जिन मामलों में निचली अदालतों ने आरोपी को बरी कर दिया है, उनसे निपटने में अपीलीय अदालत को यह ध्यान रखना चाहिए कि निचली अदालत का बरी होना इस धारणा को मजबूत करता है कि वह निर्दोष है। अपीलीय अदालत को मुकदमे के फैसले को उचित महत्व देना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए

निचली अदालत के रूप में अदालत को गवाहों के व्यवहार को देखने का विशिष्ट लाभ था, और गवाहों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करने के लिए बेहतर स्थिति में था।

17. राजस्थान राज्य में v. नरेश (2009) 9 एस. सी. सी. 368, न्यायालय ने इस न्यायालय के पहले के निर्णयों की फिर से जांच की और निर्धारित किया किः (एस. सी. सी पी. 374, पैरा 20)

" 20 ..... बरी किए जाने के आदेश में हल्के से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, भले ही अदालत का मानना हो कि आरोपी की ओर उंगली उठाने वाले कुछ सबूत हैं।

18. यू. पी. राज्य बनाम बन्ने (2009) 4 एस. सी. सी. 271, इस न्यायालय ने कुछ उदाहरणात्मक परिस्थितियाँ दीं जिनमें न्यायालय गुरु दत्त पथाक बनाम।

अदालत। परिस्थितियों में शामिल हैंः (एस. सी. सी पी. 286, पैरा 28) " (i) उच्च न्यायालय का निर्णय पूरी तरह से गलत दृष्टिकोण पर आधारित है।

तय की गई कानूनी स्थिति की अनदेखी करके कानून का उल्लंघन;

((ii) उच्च न्यायालय के निष्कर्ष साक्ष्य के विपरीत हैं और

अभिलेख पर दस्तावेज;

((iii) उच्च न्यायालय का संपूर्ण दृष्टिकोण

साक्ष्य स्पष्ट रूप से अवैध था जिससे न्याय की गंभीर विफलता हुई; ((iv) उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण है और

मामला; (v) इस न्यायालय को हमेशा उचित महत्व और विचार देना चाहिए।

उच्च न्यायालय के निष्कर्षों के लिए;

(vi) यह न्यायालय किसी मामले में हस्तक्षेप करने में अत्यधिक अनिच्छुक होगा। मामला जब सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ने

बरी करने का आदेश दर्ज किया। "

धनपाल बनाम में इस न्यायालय द्वारा इसी तरह के दृष्टिकोण को दोहराया गया है। राज्य (2009) 10 एससीसी 401।

19. इस प्रकार, इस मुद्दे पर कानून को सारांशित किया जा सकता है

कि असाधारण मामलों में जहां बाध्यकारी हैं परिस्थितियां, और अपील के तहत निर्णय पाया जाता है

इसके विपरीत, अपीलीय न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है

दोषमुक्त। अपीलीय न्यायालय को इस धारणा को ध्यान में रखना चाहिए अभियुक्त की निर्दोषता और आगे कि निचली अदालत की

बरी होने से उसकी बेगुनाही की धारणा को बल मिलता है। हस्तक्षेप

एक नियमित तरीके से जहां दूसरा दृष्टिकोण संभव हो टाल दिया जाता है, जब तक कि हस्तक्षेप के लिए अच्छे कारण न हों।

(जोर दिया गया)

7.2. 1 जब किसी न्यायालय द्वारा अभिलिखित तथ्य के निष्कर्षों को माना जा सकता है -

अनुच्छेद 20 में इस पर विचार किया गया है और विचार किया गया है

उक्त निर्णय, जो निम्नानुसार हैः

" 20. न्यायालय द्वारा अभिलिखित तथ्य के निष्कर्षों को माना जा सकता है -

प्रतिकूल यदि निष्कर्षों को अनदेखा करके प्राप्त किया गया है या

प्रासंगिक सामग्री को छोड़कर या ध्यान में रखते हुए

अप्रासंगिक/अस्वीकार्य सामग्री। निष्कर्ष को [2021] 6 एस. सी. आर. को भी कहा जा सकता है।

यदि यह "साक्ष्य के भार के विरुद्ध" है, या यदि

इतना अपमानजनक रूप से ढूँढना तर्क की अवहेलना करता है कि वह बुराई से पीड़ित है

अविवेकीपन। (राजिंदर कुमार किंड्रा बनाम। दिल्ली प्रशासन (1984) 4 एस. सी. सी. 635, आबकारी और कराधान अधिकारी-सह-निर्धारण अधिकारी

प्राधिकरण v. गोपी नाथ एंड संस 1992 पूरक (2) एस. सी. सी. 312, त्रिवेणी

रबड़ और प्लास्टिक बनाम। सी. सी. ई 1994 सप. (3) एससीसी 665, गया

दीन वी। हनुमान प्रसाद (2001) 1 एस. सी. सी. 501, अरुवेलु बनाम। राज्य

(2009) 10 एस. सी. सी. 206 और गामिनी बाला कोटेश्वर राव बनाम। राज्य ए. पी. (2009) 10 एस. सी. सी. 636) का।

(जोर दिया गया)

7.2. 2 यह आगे देखा जाता है, इस निर्णय का पालन करने के बाद

कुलदिप सिंह बनाम के मामले में न्यायालय। पुलिस आयुक्त (1999) 2 एस. सी. सी. 10 ने कहा कि यदि कोई निर्णय बिना किसी साक्ष्य या पूरी तरह से अविश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर लिया जाता है और कोई भी उचित व्यक्ति उस पर कार्रवाई नहीं करेगा, तो आदेश विकृत होगा। लेकिन अगर रिकॉर्ड में कुछ सबूत हैं जो स्वीकार्य हैं और जिन पर भरोसा किया जा सकता है, तो निष्कर्षों को विकृत नहीं माना जाएगा और निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

7.3 विजय मोहन के मामले में इस अदालत के फैसले में

सिंह बनाम। कर्नाटक राज्य (2019) 5 एस. सी. सी. 436, इस न्यायालय को फिर से धारा 378 Cr.P.C के दायरे पर विचार करने का अवसर मिला। बरी किए जाने के विरुद्ध अपील में उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप। इस न्यायालय ने 1952 के बाद से इस न्यायालय के निर्णयों पर विचार किया। पैराग्राफ 31 में, यह निम्नानुसार मनाया और अभिनिर्धारित किया गया हैः

" 31. इस न्यायालय के समक्ष एक समान प्रश्न पर विचार किया गया। उमेदभाई जादवभाई (1978) 1 एस. सी. सी. 228 में। इससे पहले के मामले में

इस न्यायालय, उच्च न्यायालय ने बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप किया विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा समग्र की पुनः प्रशंसा पर पारित किया गया

अभिलेख पर साक्ष्य। हालांकि, उच्च न्यायालय ने पलटते हुए

दोषमुक्ति, विद्वान द्वारा दिए गए कारणों पर विचार नहीं किया

अभियुक्त को बरी करते हुए निचली अदालत। फैसले की पुष्टि

उच्च न्यायालय के इस न्यायालय ने पैरा 10 में कहा और अभिनिर्धारित किया कि इसके अंतर्गतः (एस. सी. सी पी. 233)

" 10. एक बार आदेश के खिलाफ अपील पर सही ढंग से विचार किया गया

बरी किए जाने पर, उच्च न्यायालय को पुनः मूल्यांकन करने का अधिकार था पूरा साक्ष्य स्वतंत्र रूप से और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आता है।

आम तौर पर, उच्च न्यायालय गुरु दत्त पाठ v को उचित महत्व देगा।

उत्तर प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

सत्र न्यायाधीश की राय यदि उसी के बाद आई थी

साक्ष्य का उचित मूल्यांकन। यह नियम नहीं होगा

वर्तमान मामले में लागू होता है जहां सत्र न्यायाधीश ने मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में एक बहुत ही भौतिक और निर्णायक पहलू की बिल्कुल गलत धारणा बनाई है।

31.1 . सम्बाशिवन बनाम। केरल राज्य (1998) 5 एस. सी. सी. 412, उच्च न्यायालय ने विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी किए जाने के आदेश को उलट दिया और अभियुक्त को दोषी ठहराया।

हालाँकि, अभिलेख पर संपूर्ण साक्ष्य ने इस प्रश्न पर अपना निष्कर्ष दर्ज नहीं किया कि क्या साक्ष्य से निपटने में निचली अदालत का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध था या उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूरी तरह से असमर्थनीय थे। विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के फैसले को पलटने पर अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए, यह संतुष्ट होने के बाद कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी किए जाने का आदेश विकृत था और दुर्बलता से पीड़ित था, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि करते हुए, इस न्यायालय ने पैरा 8 में निम्नानुसार टिप्पणी कीः (एस. सी. सी पी. 416)

" 8. हमने यह पता लगाने के लिए अपील के तहत निर्णय का अध्ययन किया है कि क्या उच्च न्यायालय उपरोक्त सिद्धांतों का पालन करता है। हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने रमेश बाबूलाल दोशी बनाम मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित तरीके से सख्ती से कार्रवाई नहीं की है। गुजरात राज्य (1996) 9 एस. सी. सी. 225। सबसे पहले इस सवाल पर अपना निष्कर्ष दर्ज करना कि क्या साक्ष्य से निपटने में निचली अदालत का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध था या उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूरी तरह से असमर्थनीय थे, जो अकेले बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप को उचित ठहराएंगे, हालांकि उच्च न्यायालय ने एक सुविचारित निर्णय दिया है जो विधिवत बैठक में दिया गया है।

उसके सामने उठाए गए सभी विवाद। लेकिन फिर ऐसा नहीं होगा।

स्वयं अनुपालन के तहत निर्णय को दरकिनार करना उचित है

अपील? हम सोचते हैं, नहीं। हमारे विचार में, ऐसे मामले में, न्यायालय का दृष्टिकोण जो निर्णय की वैधता पर विचार कर रहा है

एक अपीलीय अदालत ने बरी करने के आदेश को उलट दिया है

विचारण न्यायालय द्वारा पारित, स्वयं को संतुष्ट करने के लिए होना चाहिए यदि

साक्ष्य से निपटने में निचली अदालत का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध था या उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष स्पष्ट रूप से [2021] 6 एस. सी. आर. हैं।

अस्थिर और क्या अपीलीय न्यायालय का निर्णय

उन दुर्बलताओं से मुक्त है; यदि ऐसा माना जाए कि निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप की आवश्यकता है। ऐसे मामले में, स्पष्ट रूप से कोई कारण नहीं है कि अपीलीय अदालत के फैसले को बाधित किया जाना चाहिए। लेकिन अगर दूसरी ओर अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि निचली अदालत के फैसले में कोई कमजोरी नहीं है, तो यह माना जा सकता है कि हस्तक्षेप

अपीलीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के आदेश में न्यायसंगत नहीं था; तो ऐसे मामले में अपीलीय न्यायालय के निर्णय को दो उचित विचारों के रूप में अलग रखा जाना चाहिए, एक समर्थन में

बरी किए जाने को ही खड़ा होना पड़ता है। उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम के निर्णय की जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे

इस मामले में ट्रायल कोर्ट "।

31.2 . के. रामकृष्णन उन्नीथन बनाम। केरल राज्य (1999) 3 एस. सी. सी. 309, यह देखने के बाद कि यद्यपि अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील की शिकायत में कुछ सार है कि उच्च न्यायालय ने बरी करने के आदेश के अनुसार विचारण न्यायाधीश द्वारा दिए गए सभी कारणों को स्वीकार नहीं किया है, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश को यह पाए जाने के बाद खारिज करने से इनकार कर दिया कि बरी करने का आदेश दर्ज करने में सत्र न्यायाधीश का दृष्टिकोण उचित नहीं था और विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा कई पहलुओं पर निकाला गया निष्कर्ष अस्थिर था। इस न्यायालय ने आगे कहा कि चूंकि सत्र न्यायाधीश अभियुक्त को बरी करते समय प्रासंगिक/भौतिक साक्ष्य को खारिज करना उचित नहीं था, इसलिए उच्च न्यायालय को साक्ष्य की पुनः सराहना करने और अपना निष्कर्ष दर्ज करने का पूरी तरह से अधिकार था। इस अदालत ने चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य की जांच की और राय दी कि चश्मदीद गवाहों की गवाही को खारिज करने के लिए निचली अदालत द्वारा पेश किए गए कारण बिल्कुल भी सही नहीं थे। इस न्यायालय ने यह भी कहा कि निचली अदालत द्वारा दिए गए साक्ष्य का मूल्यांकन स्पष्ट रूप से गलत था और

इसलिए यह उच्च न्यायालय का कर्तव्य था कि वह विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा बरी किए जाने के आदेश में हस्तक्षेप करे।

31.3 . एटली वी। उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 807, पैरा 5 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित कियाः (एयर पीपी। 809-10)

" 5. अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि निचली अदालत का फैसला बरी करने वाला होने के कारण, उच्च न्यायालय को इसे केवल गुरु दत्त पथाक बनाम की सराहना पर दरकिनार नहीं करना चाहिए था।

अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य का नेतृत्व तब तक किया जाता है जब तक कि यह इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता कि विचारण न्यायाधीश का निर्णय विकृत था। में।

हमारी राय में, यह कहना सही नहीं है कि जब तक अपीलीय अदालत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 417 के तहत अपील में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती कि अपील के तहत बरी होने का फैसला विकृत था, तब तक वह उस आदेश को रद्द नहीं कर सकती। इस न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि यह उच्च न्यायालय के लिए खुला है।

अदालत ने पूरे साक्ष्य की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने के लिए बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील पर, निश्चित रूप से,

इस सुस्थापित नियम को ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्त की निर्दोषता की धारणा कमजोर नहीं होती है, बल्कि निचली अदालत द्वारा पारित बरी किए जाने के फैसले से मजबूत होती है, जिसमें गवाहों के आचरण का पालन करने का लाभ था, जिनके

उसकी उपस्थिति में साक्ष्य दर्ज किए गए हैं।

यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि अपील की अदालत के पास व्यापक शक्तियां हैं बरी किए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील में साक्ष्य की सराहना, जैसा कि दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध अपील के मामले में, इस बात के अधीन कि अभियुक्त व्यक्ति जिस निर्दोषता के साथ निचली अदालत में शुरू होता है, वह अपील स्तर तक भी जारी रहता है और अपील अदालत को निचली अदालत की राय को उचित महत्व देना चाहिए जिसने आदेश दर्ज किया था।

दोषमुक्त करने का।

यदि अपीलीय न्यायालय उन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य की समीक्षा करता है और एक विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचता है, तो निर्णय को दूषित नहीं कहा जा सकता है। (इस संबंध में बार में उद्धृत मामलों को देखें, अर्थात् सूरजपाल सिंह बनाम। राज्य ए. आई. आर 1952 एस. सी. 52; विलायत खान बनाम। यू. पी. ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 122 की स्थिति) हमारी राय में, अपीलार्थी की ओर से उठाए गए इस तर्क में कोई सार नहीं है कि उच्च न्यायालय पूरे साक्ष्य की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर पहुंचने में उचित नहीं था। 31.4 . के. गोपाल रेड्डी बनाम। ए. पी. राज्य (1979) 1 एस. सी. सी. 355, इस न्यायालय ने कहा है कि जहां विचारण न्यायालय काल्पनिक संदेहों से घिरा हुआ होने की अनुमति देता है, छोटे कारणों से विश्वसनीय साक्ष्य को अस्वीकार करता है और साक्ष्य को देखता है जो मुश्किल से संभव है, यह उच्च न्यायालय का स्पष्ट कर्तव्य है कि वह न्याय के हित में हस्तक्षेप करे, ऐसा न हो कि न्याय के प्रशासन का उपहास किया जाए।

(जोर दिया गया)

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7.4 उमेदभाई जादवभाई (ऊपर) के मामले में, पैराग्राफ में

निम्नलिखित रूप में मनाया और आयोजित किया जाता हैः

" 10. एक बार जब बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील पर सही ढंग से विचार किया गया, तो उच्च न्यायालय को स्वतंत्र रूप से पूरे साक्ष्य की फिर से सराहना करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने का अधिकार था। आम तौर पर, उच्च न्यायालय की राय को उचित महत्व देगा

सत्र न्यायाधीश यदि उन पर उचित समय के बाद निर्णय लिया गया था

साक्ष्य की सराहना। यह नियम वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा जहां सत्र न्यायाधीश ने मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक पहलू की पूरी तरह से गलत धारणा बनाई है। मामले की विशिष्ट परिस्थितियाँ "।

7.5 एटली वी के मामले में। उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1955 एस. सी. इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया हैः

" 5. अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि निचली अदालत का फैसला बरी करने वाला होने के कारण, उच्च न्यायालय को अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए साक्ष्य की केवल सराहना पर इसे तब तक दरकिनार नहीं करना चाहिए था जब तक कि वह इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता कि निचली अदालत के न्यायाधीश का फैसला विकृत था। में।

हमारी राय में, यह कहना सही नहीं है कि जब तक अपीलीय अदालत धारा 417 के तहत अपील में नहीं आती, तब तक आपराधिक पी. सी.

इस न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि यह उच्च न्यायालय के लिए खुला है। अदालत ने पूरे साक्ष्य की समीक्षा करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष पर आने के लिए बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील पर, निश्चित रूप से,

इस सुस्थापित नियम को ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्त की निर्दोषता की धारणा कमजोर नहीं होती है, बल्कि निचली अदालत द्वारा पारित बरी किए जाने के फैसले से मजबूत होती है, जिसमें -

गवाहों के आचरण को देखने का लाभ जिनके

उसकी उपस्थिति में साक्ष्य दर्ज किए गए हैं। यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि अपील की अदालत के पास व्यापक शक्तियां हैं

बरी किए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील में साक्ष्य की सराहना, जैसा कि दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध अपील के मामले में, इस बात के अधीन कि अभियुक्त व्यक्ति जिस निर्दोषता के साथ निचली अदालत में शुरू होता है, वह अपील स्तर तक भी जारी रहता है और अपील अदालत को निचली अदालत की राय को उचित महत्व देना चाहिए जिसने आदेश दर्ज किया था।

दोषमुक्त करने का।

गुरु दत्त पाठक बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

यदि अपीलीय न्यायालय साक्ष्य की समीक्षा करता है, तो उन्हें ध्यान में रखते हुए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, और एक विपरीत निष्कर्ष पर आते हुए, निर्णय को दूषित नहीं कहा जा सकता है। (इस संबंध में बार में उद्धृत मामलों को देखें, अर्थात् सूरजपाल सिंह बनाम। राज्य 1952 CRILJ331; विलायत खान बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, आकाशवाणी

1953 एससी 122। हमारी राय में, अपीलार्थी की ओर से उठाए गए इस तर्क में कोई सार नहीं है कि उच्च न्यायालय नहीं था

पूरे साक्ष्य की समीक्षा करने और अपने दम पर आने में न्यायसंगत

निष्कर्ष निकालते हैं।

7.6 K.Gopal रेड्डी बनाम के मामले में। आंध्र प्रदेश राज्य (1979) 1 एस. सी. सी. 355, इस न्यायालय ने कहा है कि जहां विचारण न्यायालय खुद को काल्पनिक संदेहों से घिरा हुआ होने की अनुमति देता है, वह विश्वसनीय साक्ष्य को खारिज कर देता है। तुच्छ कारणों से और साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, जो मुश्किल से संभव है, यह उच्च न्यायालय का स्पष्ट कर्तव्य है कि वह न्याय के हित में हस्तक्षेप करे, ऐसा न हो कि न्याय के प्रशासन का उपहास किया जाए।

8. उपरोक्त में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करना

हाथ में मामले के तथ्यों के लिए निर्णय, यह विचार किया जाना है कि क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय में उचित है

विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित बरी किए जाने के आदेश में हस्तक्षेप करना?

8.1 जिन आधारों पर विद्वत विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों को बरी किया, वे उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय में वर्णित हैं, जो निम्नानुसार हैंः

हत्या करने के लिए उत्तरदाताओं को दिया गया उद्देश्य

1 .

राम आसरे पाठक के झूठ का कारण हो सकता है

इस मामले में निहितार्थ;

बद्री प्रसाद (पीडब्लू. 1) और लाल मणि (पीडब्लू. 3) मौका हैं।

2 .

जबकि गवाह शत्रुघ्न प्रसाद पाठक (पीडब्लू 2), लाल मणि (पीडब्लू 3) और राम गणेश पाठक (पीडब्लू 4) तथ्य के गवाह संबंधित और इच्छुक गवाह हैं क्योंकि शत्रुघ्न प्रसाद पाठक (पीडब्लू 2) और राम गणेश पाठक (पीडब्लू 4) मृतक के बेटे हैं।

जहाँ लाल मणि (पी. डब्ल्यू. 3) रिश्तेदार हैं जो अभिलेख पर स्थापित हैं;

किसी भी स्वतंत्र सार्वजनिक गवाह से पूछताछ नहीं की गई है।

3 .

उनके अनुसार, मृतक के पी. डब्ल्यू. 2 और पी. डब्ल्यू. 4 बेटों को भी मौका गवाह कहा जा सकता है; [2021] 6 एस. सी. आर.

घटना का स्थान अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं किया गया है और

4 .

मृतक के पास पहुँचने का कोई अवसर नहीं था कथित स्थान यदि वह प्रकृति के आह्वान में भाग लेने जा रहा था;

5 .

मृतक के व्यक्ति पर बन्दूक की चोट की अनुपस्थिति अभियोजन पक्ष के गवाहों की उपस्थिति को झुठलाया;

एफ. आई. आर. पुराना है;

6 .

अभियोजन पक्ष ने आरोपी की चोट के बारे में नहीं बताया है

7 .

मुरलीधर पाठक;

हालाँकि उत्तरदाताओं ने कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया है

8 .

उनका बचाव इस तथ्य को साबित करने के लिए कि मृतक को मुरलीधर पाठक के दरवाजे पर चोटें आईं या उसके व्यक्ति पर चोटें भीड़ या जनता, या मुरलीधर पाठक के कारण हुईं मृतक के कहने पर उसे अपने दरवाजे पर चोटें आईं, फिर भी किसी भी मामले में, उत्तरदाताओं द्वारा निजी बचाव के अधिकार के प्रयोग की संभावना को असंभव नहीं कहा जा सकता है।

उपर्युक्त प्रत्येक आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा विस्तृत रूप से विचार किया गया है और अभिलेख पर पूरे साक्ष्य की पुनः समीक्षा करने पर उच्च न्यायालय विशेष रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विकृत हैं और इसके बाद उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित बरी किए जाने के निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप किया है।

विद्वत विचारण न्यायालय।

9. जहाँ तक अभियुक्त की ओर से इस कथन का संबंध है कि कोई उद्देश्य स्थापित और साबित नहीं हुआ है, उच्च न्यायालय ने उसी के साथ विस्तृत रूप से निपटा गया। उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है कि जब चश्मदीद गवाहों के रूप में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य होता है और चश्मदीद गवाह भरोसेमंद और विश्वसनीय होते हैं, तो उद्देश्य का अभाव होता है।

महत्वहीन। वर्तमान मामले में, 313 बयान में ही, अपीलार्थी-मूल अभियुक्त नं. 4 यह भी कहा गया है कि एक शत्रुता थी।

इसलिए, अभियुक्त के अनुसार भी, एक दुश्मनी थी।

10. विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया एक अन्य आधार, जबकि

अभियुक्त को बरी करना यह था कि किसी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की गई है। उच्च न्यायालय ने ठीक ही कहा है कि जहां चश्मदीद गवाहों के ठोस साक्ष्य हैं, वहां कुछ गवाहों/स्वतंत्र गवाहों और/या किसी भी स्वतंत्र गवाह की जांच के अभाव में केवल गैर-जांच करना मामले के लिए घातक नहीं होगा।

अभियोजन।

गुरु दत्त पाठक बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

10.1 मंजीत सिंह बनाम के मामले में। पंजाब राज्य (2019) 8

एस. सी. सी. 529, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित और अभिनिर्धारित किया गया है कि घायल चश्मदीद गवाहों के विश्वसनीय साक्ष्य को केवल इस कारण से खारिज नहीं किया जा सकता है कि किसी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की गई थी।

10.2 सुरिंदर कुमार बनाम के मामले में हाल के निर्णय में। पंजाब राज्य (2020) 2 एस. सी. सी. 563, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित और अभिनिर्धारित किया गया है कि केवल इसलिए कि अभियोजन पक्ष ने किसी स्वतंत्र गवाह की जांच नहीं की, आवश्यक रूप से इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा कि अभियुक्त गलत था।

फंसाया गया।

10.3 रिज़वान खान बनाम के मामले में। छत्तीसगढ़ राज्य (2020)

दशरथ सिंह बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर अभियोजन पक्ष और निर्भरता द्वारा। उत्तर प्रदेश राज्य (2004) 7 एस. सी. सी. 408 का संबंध है, शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि जांच अधिकारी-पी. डब्ल्यू. 7 ने पैराग्राफ 6 में अपनी जाँच-इन-चीफ में विशेष रूप से कहा है उन्होंने कहा कि जब उन्होंने 4 बजे उक्त आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश कीः 00 सुबह पुल के पास उक्त आरोपी ने भागने की कोशिश की; हाथापाई के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उस हाथापाई और गिरफ्तारी के दौरान, वह

लगी हुई चोटें। जिरह में उन्हें एक सुझाव दिया गया था कि गिरफ्तारी के समय आरोपी मुरलीधर पाठक को कोई चोट नहीं लगी थी, हालांकि, इस बात से विशेष रूप से इनकार किया गया है कि यह [2021] 6 एस. सी. आर. नहीं है।

यह सच है कि गिरफ्तारी के समय उन्हें चोट नहीं लगी थी। इसी तरह के सुझाव अन्य गवाहों को भी दिए गए और उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष उक्त अभियुक्त पर चोट की व्याख्या करने में विफल रहा है। यहां तक कि उपरोक्त पहलू पर भी उच्च न्यायालय द्वारा विस्तार से विचार किया गया है और उक्त बयान की उच्च न्यायालय द्वारा अभिलेख पर पूरे साक्ष्य, विशेष रूप से चिकित्सा साक्ष्य और यहां तक कि अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष द्वारा जांचे गए डॉक्टरों के बयान की पुनः सराहना करने के लिए सराहना की गई है।

12.1 . अब जहाँ तक दशरथ सिंह (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता का संबंध है,

उपरोक्त निर्णय में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने की आवश्यकता है। उक्त मामले में, अभियुक्त का बचाव यह था कि दोनों पक्षों के बीच एक स्वतंत्र लड़ाई थी और इसलिए निजी बचाव के अधिकार और/या हमलावर कौन था, के संबंध में सवाल उठा। यहां तक कि

अन्यथा उक्त निर्णय में भी, इस न्यायालय ने तखाजी हीराजी बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 17 का उल्लेख किया। ठाकुर कुबरसिंग चमनसिंह (2001) पैराग्राफ 18 में 6 एस. सी. सी. 145, जो नीचे दिया गया हैः

" 17. ..... लगातार लिया गया दृष्टिकोण यह है कि इसे कानून के मामले के रूप में या हमेशा एक नियम के रूप में नहीं माना जा सकता है कि जब भी आरोपी को उसी घटना में चोट लगी हो, तो अभियोजन पक्ष

न्यायालय को दो शर्तों के अस्तित्व से संतुष्ट होना होगाः ((i) कि अभियुक्त व्यक्ति को गंभीर चोट लगी थी। प्रकृति ; और
(ii) कि ऐसी चोटें विचाराधीन घटना के समय हुई होंगी। चोटों की गैर-व्याख्या अधिक महत्व रखती है जब साक्ष्य में शामिल होते हैं -

इच्छुक या पक्षपातपूर्ण गवाह या जहाँ बचाव पक्ष एक

संस्करण जो अभियोजन पक्ष के साथ संभावना में प्रतिस्पर्धा करता है। जहां साक्ष्य स्पष्ट, ठोस और विश्वसनीय है और जहां अदालत सच्चाई को झूठ से अलग कर सकती है, केवल यह तथ्य कि अभियुक्त व्यक्तियों के पक्ष में चोटों को अभियोजन पक्ष द्वारा समझाया नहीं गया है, अपने आप में एकमात्र आधार नहीं हो सकता हैः

अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही और परिणामस्वरूप पूरे अभियोजन पक्ष के मामले को अस्वीकार कर दें।

गुरु दत्त पाठक बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

18. इसलिए उच्च न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों को लगी चोटों के बारे में स्पष्टीकरण न देने के लिए पूरे अभियोजन मामले को उखाड़ फेंकना सही नहीं था।

12.2 इसके बाद, पैराग्राफ 19 में, यह निम्नानुसार मनाया और अभिनिर्धारित किया गया हैः

" 19. उसी घटना के दौरान अभियुक्त द्वारा प्राप्त गंभीर प्रकृति की चोटों से संकेत मिलता है कि दोनों पक्षों के बीच लड़ाई हुई थी। ऐसी स्थिति में, लड़ाई की उत्पत्ति के बारे में सवाल, यानी लड़ाई की ओर ले जाने वाली घटनाएं और किस पक्ष ने पहला हमला शुरू किया, यह बहुत अच्छा लगता है। अंतिम निर्णय तक पहुँचने में महत्व। यह यहाँ है कि

उसी घटना के दौरान अभियुक्त द्वारा प्राप्त गंभीर प्रकृति की चोटों को समझाने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। कब

स्पष्टीकरण दिया जाता है, स्पष्टीकरण की शुद्धता का परीक्षण किया जा सकता है। यदि स्पष्टीकरण देने में कोई चूक है, तो इससे यह निष्कर्ष निकल सकता है कि अभियोजन पक्ष ने घटना से संबंधित कुछ प्रासंगिक विवरणों को दबा दिया है। अदालत को तब विचार करना होगा

क्या इस तरह की चूक पूरे अभियोजन पक्ष की कहानी पर एक उचित संदेह पैदा करती है या इसका अन्य विश्वसनीय पर कोई प्रभाव पड़ेगा

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की गुणवत्ता पर निर्भर करता है और यह उस कोण से है कि चोटों के गैर-स्पष्टीकरण के पहलू से जुड़े वजन पर विचार किया जाना चाहिए। फैसले ऊपर उद्धृत करने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि इस प्रश्न की जांच करने में एक यांत्रिक या पृथक दृष्टिकोण नहीं हो सकता है कि क्या

अभियोजन पक्ष का मामला चोटों का स्पष्टीकरण न देने के कारण दूषित हो जाता है। दूसरे शब्दों में, अभियुक्त की चोटों की गैर-व्याख्या उन कारकों में से एक है जिन्हें अभियोजन पक्ष के साक्ष्य और बचाव पक्ष के आंतरिक मूल्य का मूल्यांकन करने में ध्यान में रखा जा सकता है।

13. इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वर्तमान मामले में अभियुक्त की ओर से बचाव पर विचार करते हुए भी जब मृतक

आरोपी में से एक मुरलीधर पाठक के घर के दरवाजे के पास आया, वह अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था और झगड़ा हो गया और गांव के अन्य लोगों ने मृतक को घायल कर दिया होगा। इसलिए, आरोपी द्वारा घटना को विवादित नहीं माना जाता है। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार घटना की घटना का स्थान स्थापित किया गया है और अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया गया है। आरोपी विफल रहे हैं।

किसी भी सबूत का नेतृत्व करने के लिए कि घटना अभियुक्तों में से एक के घर के दरवाजे के पास हुई थी। यहां तक कि आरोपी द्वारा सुझाए गए घटना स्थल पर भी, यदि पंचम का संबंध है, तो यह मामले का समर्थन नहीं करता है रक्षा से। उपरोक्त पहलू पर उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश में विस्तार से विचार किया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य का नेतृत्व करके यह स्थापित और साबित किया गया है कि घटना

यह घटना प्राथमिक पाठशाला के पास सड़क पर हुई थी। प्राथमिक पाठशाला के पास सड़क से शव और खून बरामद किया गया

उस स्थान से दागदार गमछा और तहमाद भी बरामद किए गए थे। मृत शरीर की बरामदगी और दागदार रक्त की बरामदगी आदि के स्थान पर चुनौती नहीं दी जाती है। इसलिए, अभियोजन पक्ष ने घटना के स्थान को साबित कर दिया है जैसा कि प्राथमिकी में कहा गया है।

14. अब जहाँ तक विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को बरी करते हुए एक अन्य आधार सौंपा गया है कि मृतक के व्यक्ति पर कोई आग्नेयास्त्र की चोट नहीं थी और इसलिए चिकित्सा साक्ष्य है नेत्र संबंधी गवाही के साथ असंगत होने का संबंध है, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अभियोजन पक्ष का यह मामला कभी नहीं था कि मृतक के व्यक्ति पर आग्नेयास्त्र से चोट लगी थी। यहां तक कि गवाहों के साक्ष्य के अनुसार, जब लाठी और भाले की चोटों को बनाए रखने के बाद, मृतक पृथ्वी पर गिर गया जब अन्य व्यक्ति आने लगे और

उस जगह से जाते समय, एक आरोपी रामराज पाठक ने मृतक की ओर अपनी पिस्तौल से गोली चला दी। गवाहों के मामले में ऐसा कभी नहीं हुआ कि गोली मृतक को लगी हो। इसके विपरीत, शत्रुघ्न प्रसाद पाठक,

पीडब्लू2 ने विशेष रूप से कहा है कि मृतक को कोई आग्नेयास्त्र चोट नहीं लगी है, हालांकि रामराज पाठक ने उस पर गोली चलाई है। 15. हमने पी. डब्ल्यू. 2 और पी. डब्ल्यू. 4 के बयानों को ध्यान से देखा है जिन्हें स्टार गवाह कहा जा सकता है और वे हैं

घटना के प्रत्यक्षदर्शी। पीडब्लू2 (हिंदी संस्करण, पैरा 9) के बयान से, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने

दृढ़ता से प्रस्तुत किया कि उक्त गवाह ने विशेष रूप से गुरु दत्त पाठक बनाम को स्वीकार किया है।

घटना की रात वह 291, मालवीय नगर में था और सूचना मिलने के बाद वह मौके पर पहुंचा। हालांकि, पैरा 9 में एक अधिलेखन है और "सच नहीं" शब्दों को कलम से हटा दिया गया है और जो अधिलेखन है वह है "यह सच है"। इस स्तर पर यह कहना मुश्किल है कि इस अधिलेखन को किसने बनाया? यहां तक कि उपरोक्त को विद्वत विचारण न्यायालय या यहां तक कि उच्च न्यायालय के समक्ष भी इंगित और/या प्रस्तुत नहीं किया गया था। हालाँकि, अगर हम पूरे पैरा 9 को समग्र रूप से पढ़ते हैं, तो यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल है कि उन्होंने स्वीकार किया कि वह सुबह गाँव में मौजूद नहीं थे और इसलिए उनकी उपस्थिति पर संदेह किया जा सकता है। जो भी हो, भले ही कुछ समय के लिए पीडब्लू2 के साक्ष्य पर विचार नहीं किया जाता है और /

या बहिष्कृत, पीडब्लू 4 के रूप में अभियोजन पक्ष के समर्थन में एक भारी सबूत है। उनकी उपस्थिति पर कोई संदेह नहीं है। वह भरोसेमंद और भरोसेमंद पाया जाता है। उनका बयान एफ़. आई. आर. में लगाए गए आरोपों के अनुरूप है। उनकी विश्वसनीयता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए, यहां तक कि अपीलार्थी भी सही तरीके से दोषी ठहराया जा सकता है और हो सकता है

पीडब्लू4 के बयान पर, जो घटना का चश्मदीद गवाह है।

16. आइए अब हम अपीलार्थी की ओर से मामले और/या बचाव पर विचार करें-मूल अभियुक्त सं। 4 . यह मामला अभियुक्त की ओर से था कि यह घटना अभियुक्त मुरलीधर पाठक के घर के दरवाजे पर हुई थी और एक अन्य अभियुक्त मुरलीधर पाठक को मृतक द्वारा गाली-गलौज और हमला किया जा रहा था और भीड़ ने मृतक के व्यक्ति को घायल कर दिया था। उपरोक्त कथन को छोड़कर, बचाव पक्ष द्वारा इसे स्थापित और सिद्ध नहीं किया गया है।

साक्ष्य, विशेष रूप से जब अभियुक्त ने बचाव पक्ष के तीन गवाहों से पूछताछ की हो। भीड़ में से किसी की भी उनके द्वारा जाँच नहीं की गई है। यहां तक कि अपने 313 बयान में भी, अपीलार्थी का एकमात्र बचाव-अभियुक्त नं। 4 यह था कि उन्हें दुश्मनी के कारण मामले में झूठा फंसाया गया है और वह वहां नहीं थे। उन्होंने यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है कि वह कहीं और थे।

17. मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर, जब उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियुक्त को बरी करते समय विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विकृत थे और यहां तक कि अभिलेख पर साक्ष्य और/या साक्ष्य के गलत अध्ययन के विपरीत थे, तो उच्च न्यायालय ने विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और बरी करने के आदेश में उचित रूप से हस्तक्षेप किया है और अभियुक्त को उचित रूप से दोषी ठहराया है। में वर्तमान मामले में, अपीलार्थी-मूल अभियुक्त सं। 4 एफ. आई. आर. में शुरू से ही विशेष रूप से इसका नाम लिया गया था। उन्हें [2021] 6 एस. सी. आर. का श्रेय दिया गया है।

विशिष्ट भूमिका। पी. डब्ल्यू. 4 के साक्ष्य से यह स्थापित और साबित किया गया है (भले ही पी. डब्ल्यू. 2 के बयान को कुछ समय के लिए नजरअंदाज किया जा रहा हो) उच्च न्यायालय द्वारा विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

18. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, हम उनके द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

उच्च न्यायालय ने बरी किए जाने के फैसले को पलट दिया और अभियुक्त को दोषी ठहराया। हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं। वर्तमान अपील तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

19. अपीलार्थी के रूप में-गुरु दत्त पाठक, मूल अभियुक्त नं. 30.04.2021 तक अंतरिम जमानत दी गई थी और उसके बाद वही है

इस न्यायालय द्वारा विस्तारित नहीं किया गया है और वर्तमान अपील अब खारिज कर दी गई है यदि अभियुक्त ने अब तक आत्मसमर्पण नहीं किया है, तो वह सजा काटने के लिए तुरंत आत्मसमर्पण करेगा। देविका गुजराल

या

चिका खारिज